

मंडल की 2.7.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	65	मंडल की 30 मई 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 30.5.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	66	मैलेट बंदर से वडाला तक मुंबई के दूरस्थ बाह्य क्षेत्रों में प्रकाश सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कार्य के पर्यवेक्षण सेवा के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
3.	67	निविदा सं.ई-29/2016-वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान सामान्य कार्य दक्षिण प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न भागों के लिए वार्षिक विविध कार्य (भाग-III) - इंदिरा गोदी तथा प्रिंसेस एवं विकटोरिया गोदी - अधिक्य तथा अतिरिक्त मात्रा.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
4.	68	उच्चतर पद के लिए पायलट की तैनाती.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
5.	69	युपीसीएसएमएफ द्वारा जारी बॉण्डों में मुंपोट्र का निवेश तथा उत्तर प्रदेश को. ऑप. स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (युपीसीएसएमएफ) से प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का वि.स. एवं मु.ले.अ. का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	विधि
6.	70	अनुमोदित मात्रा 2,25,000 से अधिक 1,20,000 मात्रा टॉबलेट टेलमिसारटॉन 40 एमजी की खरीद.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
7.	71	पीरपॉव स्थित द्वितीय रसायन घाट तक अप्रोच चैनलों की गहराई तथा चौड़ाई के लिए बड़ा निकर्षण कार्य - प्राक्कलन व्यय तथा पूर्व अर्हकता मापदण्ड को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
8.	72	दो वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय तथा तृतीय चिकित्सा सुविधा, जो सीजीएचएस, मुंबई शहर के प्रचलित दर पर क्रेडिट आधार पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, प्रदान कराने के लिए मुंबई, नवी मुंबई, थाणे, कल्याण में और अधिक संख्या में निजी उच्च विशिष्टतायुक्त अस्पतालों/रोग निदान केन्द्रों की नामसूची.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	73	सरकारी भवनों में एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था का अनिवार्य प्रतिस्थापन. - ईईएसएल द्वारा ट्यूब लाइट्स बदलना.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
10.	74	(i) मुंबई पोर्ट में तैरते रेस्टॉरन्ट के संचालन के लिए निविदा. निविदा सं. टीएम/बीडीसी/एफआर (01/2017)/1814, गिरगाँव चौपाटी - किरण रिसोसेस प्रा. लि. के लिए विस्तार. (ii) मुंबई पोर्ट में तैरते रेस्टॉरन्ट के संचालन के लिए निविदा. निविदा सं. टीएम/बीडीसी/एफआर (04/2017-18)/51, गेटवे ऑफ इण्डिया - श्रीमती श्रीप्रिया दालमिया धिरानी के लिए विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
11.	75	मुख्य अभियंता का कार्यालय, मुंपोट्र, तीसरा माला, पोर्ट भवन, बेलार्ड ईस्टेट में किराया आधारपर अनुरक्षण तथा प्रचालनवाली फोटोकॉपी मशीन उपलब्ध कराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
12.	76	14 विक्टोरिया गोदी, मुंबई पोर्ट के चिन्हित क्षेत्र में सुविधाओं के प्रतिस्थापन, कार्गो सम्हलाई उपकरण के साथ अथवा बिना ऑफशोर गतिविधियां यानी भंडारण/कार्गो प्रचालन के लिए खुले/ढके स्थानों के आबंटन के लिए निविदा. -निविदा सं. टीएम/आयडी/01/2018.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
13.	77	यातायात निकास योजना से जुड़े निर्माण भवन के पीछे 2 छोटे निर्माणों को गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
14.	78	भूमि विकास और उपयोग का निरीक्षण जारी रखने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
15.	79	वार्षिक संविदा के लिए तकनीकी एवं वित्तीय पात्रता मापदण्ड.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, जो इस शर्त पर निर्भर है कि संतोषजनक कार्य निष्पादन पर एक वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।	स्थापत्य
16.	80	एसपीए क्षेत्राधिकार के अन्दर मुंपोट्र द्वारा विकास अनुमति देना - प्रभारों तथा शुल्कों एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों को अनुमोदन।	टिप्पणी के परिच्छेद 2 से 7 में उल्लिखित प्रभारों तथा लागूनुसार जीएसटी उगाही के लिए मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
17.	81	गिरगांव चौपाटी में बहुउद्देशीय जेट्टी का निर्माण।	टिप्पणी के परिच्छेद 7 तथा 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
18.	82	ससून गोदी स्थित बेमरम्मत पुराना राजस्व कार्यालय भवन गिराना।	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
19.	83	मुंबई पोर्ट को विशेष योजना प्राधिकरण घोषित किये जाने के कारण एमआरटीपी अधिनियम 1966 के अन्तर्गत गतिविधियाँ जारी रखने के लिए पदनामित अधिकारियों की नियुक्ति करना।	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य
20.	84	मुंबई हार्बर में हाजी बंदर, शिवडी तथा एलिफंटा द्वीप के बीच रोपवे सेवा के लिए निविदायें मंगाना।	टिप्पणी के परिच्छेद 21 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, जो निर्णितनुसार संशोधन करने तथा चर्चा की टिप्पणी में लाने पर निर्भर है।	स्थापत्य

c4/Pro 2 July 2018/actiontaken20180702(hindi)